राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प. 4 (253)वित्त–1(1)आ.व्यय/2012/ जयपुर, दिनांक : 12.09.13

संबधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या – 366 /2013–14)

विषयः– ग्रामों के मास्टर प्लान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम किश्त की राशि का पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ4 ( ) पराविं/पी.सी./मास्टर प्लान/बजट/2013/941 दिनांक 04.09.2013 के साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रू. 40,50,00,000/– (अक्षरे राशि रू. चालीस करोड़ पचास लाख मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावेः–

–: व्यय निम्नानुसार विकलेय है :–

बजट मद
मांग सं. 41
2515 – अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196 – जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(18) – ग्रामों के मास्टर प्लान हेतु राशि
[02] – कार्यकलाप/ गतिविधियां
12 – सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना – राशि रू. 40.50 करोड

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

12.09.13
(सुधीर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–
1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित राजस्थान।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित राजस्थान।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल)विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, वित्त (बजट)